राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या- **3175/2017**

यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.
बनाम
सुमित्रा देवी एवं अन्य

आदेश दिनांक **01** नवम्बर **2017**

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री ए एस ओबेराय अधिवक्ता- अपीलार्थी बीमा कम्पनी की ओर से
श्री कलीम अहमद अधिवक्ता केवियटर-प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत-4 की ओर से
--

अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत-4 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अहमद जरिये केवियटर उपस्थित हैं।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपील की प्रति मय पेपर बुक के आज ही अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण को उपलब्ध कराये।

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी बीमा कम्पनी को निर्देश दिया जाता है कि वे चार सप्ताह की अवधि में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित पंचाट की अनुपालना में समस्त राशि मय ब्याज के अधीनस्थ अधिकरण में जमा कराये। चार सप्ताह की अवधि में राशि जमा कराने की स्थिति में वसूली की कार्यवाही स्थगित रहेगी अन्यथा वसूली की कार्यवाही करने के लिए प्रत्यर्थीगण व अधीनस्थ अधिकरण स्वतंत्र रहेंगे।

राशि जमा होने के बाद स्थाई जमा में जमा होने वाली राशि का भुगतान बिना इस न्यायालय के अन्य आदेश के प्रत्यर्थीगण-दावेदारान् को नहीं किया जावे तथा उक्त स्थाई जमा राशि का अन्य आदेशों तक समय समय पर नवीनीकरण कराया जाता रहे।

पत्रावली इस मामले से सम्बन्धित अपील संख्या-4143/2017 के साथ पुन: न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्या0 बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/M-62

RAJASTHAN HIGH COURT